



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-08.10.2024

विषय:- थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त प्रशान्त मिश्रा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 अदद मोबाइल व चार्जर तथा 300/- रु. नकद बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में, मुखबिर की सूचना पर थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-294/24 धारा 305ए बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2), 317(4) बीएनएस थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रशान्त मिश्रा पुत्र ब्रम्हदेव मिश्रा निवासी राजा का कटरा, करमनबीर, सुसवाही थाना-चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी स्थाई पता बरगवां खुर्द, थाना-खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक-08.10.2024 को समय करीब 13.30 बजे दफ्तर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल व चार्जर तथा 300/- रु. नकद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के आधार पर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 07.10.2024 को वादी श्री राजेश पाण्डेय ने शिवा बिल्डिंग मैटेरियल अखरी बाईपास रोड रोहनिया वाराणसी स्थित अपनी दुकान/निवास से रात्रि में मोबाइल, मोबाइल चार्जर, स्पीकर व 450/- रु. नकद चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-294/24 धारा 305 ए बीएनएस पंजीकृत किया गया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा संपादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त प्रशान्त मिश्रा ने पूछताछ करने पर बताया कि कल दिनांक 07.10.2024 को भोर में लगभग ढाई बजे रात को अखरी बाईपास पर एक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से मैंने यह मोबाइल व चार्जर व 450 रुपये नकद चुराये थे, जिसमें से 150 रुपये खा पीकर खर्च कर दिये शेष यही 300 रुपये बचे हैं, मोबाइल व चार्जर को बेचने के लिये इधर-उधर ग्राहक की ही तलाश कर रहा था कि पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

प्रशान्त मिश्रा पुत्र ब्रम्हदेव मिश्रा निवासी राजा का कटरा, करमनबीर, सुसवाही थाना-चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी स्थाई पता बरगवां खुर्द, थाना-खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर उम्र-32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1- मु.अ.सं.- 294/2024 धारा-305A,317(2),317(4) B.N.S., थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

2- मु.अ.सं.- 444/23 379/411 भादवि थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

दफ्फलपुर रेलवे क्रासिंग के पास दि0 08.10.2024 समय 13:30 बजे

बरामदगी का विवरण-

एक अदद मोबाइल ओप्पो रंग सफेद टच स्क्रीन, एक अदद चार्जर व 300/- रु. नकद बरामद ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1-उ0नि0 जितेन्द्र कुमार वर्मा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

2- उ.नि. अमित सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

